

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख
अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 60/2024 (जी.सी.एम.एस. 2024/91)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. जसकरण सिंह उर्फ यशकरण सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 24 एफ तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 22.04.2024


उपस्थित: 1. श्री बलवीर सिंह अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 30.08.2024

- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 24 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भूअ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 23/22 के मुरब्बा नम्बर 40, 52, 53, 55, 68/33 की कुल 6.435 हैक्टेयर भूमि में वादी का नाम जसकरण सिंह पुत्र सरजीत सिंह दर्ज है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजों में नाम यशकरण सिंह पुत्र सरजीत सिंह अंकित है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में अनुरूप मिलान किया आवेदन पत्र ऑनलाईन हो चुके हैं, जिनका दस्तावेजों के अनुरूप मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण स्वीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 24 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भूअ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 23/22 में वादी के अंकित नाम जसकरण सिंह के स्थान पर जसकरण सिंह उर्फ यशकरण सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
- वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्राक 2627 दिनांक 07.08.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई एवं फर्दमौका बनाया गया जिसमें उपस्थितजनों ने बताया कि जसकरण सिंह व यशकरण सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं।
- बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 24 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भूअ. नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 23/22 की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, पंजीयन प्रमाण प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड धारक की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 24 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भूअ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 23/22 में वादी के अंकित नाम जसकरण सिंह के स्थान पर जसकरण सिंह उर्फ यशकरण सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज पैन कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, पंजीयन प्रमाण प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड धारक की छायाप्रति में नाम यशकरण सिंह दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई एवं फर्दमौका बनाया गया जिसमें उपस्थितजनों ने बताया कि यशकरण सिंह व जसकरण सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। सरपंच ग्राम पंचायत 25 एफ गुलाबेवाला के तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार यशकरण सिंह व जसकरण सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। इनको दाना नामों से जाना जाता है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत 25 एफ गुलाबेवाला के तस्दीक प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।


—:आदेश:—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136—राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 24 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भूअ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 23/22 में वादी के अंकित नाम जसकरण सिंह पुत्र सरजीत सिंह के स्थान पर जसकरण सिंह उर्फ यशकरण पुत्र सरजीत सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैंसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ला पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।




[श्यामराम (आर.ए.एस.)]
सहायक कलेक्टर (राजस्व) उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।


[श्यामराम (आर.ए.एस.)]
सहायक कलेक्टर (राजस्व) उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री व मुकदमे इस्तफाई

{ऑर्डर 20, क्लॉ 67, भाषा चौथी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D")

अज अदालत सहायक क्लर्क एवं पंच उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकदमा नम्बर
ब इजलारा श्री श्योराम (अ. ए. ए. ए.)

जसकरण सिंह उर्फ यशकरण सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 भारतीय, 136 राजस्व

मुकदमा नम्बर 60/2024

निर्णय दिनांक :- 30.08.2024

यह मुकदमा आज वारते इनाफामान करते हुए राजस्व, अदालत (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री बलवीर सिंह द्वारा आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136 राजस्व भू-भाली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व प्राप्त 24 25 एफ गुलाबवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की 2075 ता 2078 के खाता संख्या 23/22 में वादी के पुत्र सरजीत सिंह के स्थान पर जसकरण सिंह उर्फ यशकरण पुत्र सरजीत सिंह किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के अंकन व रहन रहने से आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के अंकन किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 30.08.2024 को यह पर्चा डिक्री में हस्ताक्षर व न्यायालय की से जारी की गई।

{श्योराम (अ. ए. ए. ए.)}
सहायक क्लर्क एवं पंच उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर

	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
मुददई			स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	मेहनताना वकाल पर	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	योग	00	00
योग	04	00			



{श्योराम (अ. ए. ए. ए.)}
सहायक क्लर्क एवं पंच उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर

दिनांक: 30.08.2024

क्रमांक: रीडर/2024/479

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री को निचानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (अ. ए. ए. ए.)}
सहायक क्लर्क एवं पंच उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर